

# फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी ओकेवा विपक्षी तोलीराम  
 किस्म मुकदमा ७४,१४४ फास्ट पत्रावली संख्या १५१/२५ सन् \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>०५/०८/२५</u>                      पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रति./विपक्षी/रेसपो. को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किये जाकर पत्रावली बाव तलबी दि. <u>०५/९/२५</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓                      सहायक कलक्टर                      (SDO) मावली</p> <p><u>०५/०९/२५</u> पत्रावली पेश हुई। अति. वारीगो ३५०) उ.सं.१ को सम्मन बाव तलबी पेश हुआ। अति. वारीगो के सम्मन अफम तलबी पेश हुई। उ.सं.१ को निरन्तर आवाजे मिलवारे गये। अनु.० ३१ पत्रावली वास्तु जलबी/जवाब दिनांक <u>२६/११/२५</u> को पेश हो।</p> <p><u>२६/११/२५</u> वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>तलबी/जवाब</u> के लिये मौका चाहते हैं। अतः <u>एक</u> प्रवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक <u>२०/१२/२५</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓                      SDO मावली</p> <p><u>१०/१२/२५</u>                      आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.... <u>३/५/२५</u> को पेश हो।</p>	<p>हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई</p>



3/4/25  
वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. तलवी / पत्रावली  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः कांति  
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 5/6/25  
को पेश हो।

SDO भावली

5/1/25  
वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप. तलवी / पत्रावली  
के लिये मौका चाहते हैं। अतः स्वतः कांति  
भवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 24/7/25  
को पेश हो।

(SDO) भावली

24/7/25  
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.  
उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का  
बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य  
स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/  
भ्रमण/मीटिंग में पधारे हैं। पत्रावली पूर्व आदेश  
के क्रम में दिनांक 11/9/25 को पेश हो।

B10  
L

11/9/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मध्य  
स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण  
मध्य स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे दिलाई  
गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं  
वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित  
हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मध्य स्वयं वादीगण  
अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाह अदम  
दावरी अदम फेरवी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो।  
निर्णय खुले न्यायालय शुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(SDO) भावली